

फर्द अहकाम

(नियम 23)

अज्ञ अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम सिरोही
ताराचंद बनाम स्टेट
किस्म मुकदमा 2517 RT Act नं 84 सन 22

तारीख /
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुआ

18/9/24

काराब बाधकता उपासना
राज साहब ~~स्थापना~~ हो गपा है
ना पत्रावली इलतबा होकर दिन
16/10/24 को पण हो।

16/10/24

काराब बाधकता उपासना
राज साहब ~~स्थापना~~ हो गपा है।
ना पत्रावली इलतबा होकर दिन
19/11/24 को पण हो।

19/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्राचार त
पेलेतर उप.। दौरान सुनवाई वकील अडवली
के मवगत कताना कि अडवली इस पूर्व में
इसी बिषय वस्तु त पत्राचार का डा. पत्र इस
आगत में पेश किया था एव अडवली के पत्र
में अडवली विस्तारित किया गया एवं बार में
RAA पाली त अडवली इस आगत में अति
प्रेषित हुआ।

हमने अतसल RAA के अतिप्रेषित
पत्रावली प/18 ताराचंद बनाम स्टेट का अडवली
किया। भारतीय आदालत द्वारा पत्राचार को
सुनवाई का समुचित मवगत उरान करते हुए
बिधि सलत आदेश प्राप्त करने के माध्यम से
इस आदालत को अतिप्रेषित किया है।

अतः अवउक्त उक्त को आगे चलाने
का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया
जाता है। भारतीय आदालत द्वारा अतिप्रेषित
पत्रावली प/18 ताराचंद / स्टेट को पुनः रद्द कर
पत्राचार / अडवली को अतिप्रेषित किया जाये।
निर्णय से इजलास सुनाया। पत्रावली अतसल
हीना संवद में नम हो।

सहायक कलेक्टर

सिरोही (राज०)